

कार्यालय,
निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 1479-1488 / जी-78/2022-23/अधि0,

दिनांक 08 जून, 2024

::आदेश::

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI (3)/2018/20(1)/2017, देहरादून, दिनांक 05 जनवरी, 2018 जिसके द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 प्रख्यापित किया गया है, के प्राविधानों के अन्तर्गत विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर श्रेणी 'ख' में निम्नांकित आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्साधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में उल्लिखित स्थान/चिकित्सालय से स्तम्भ-4 में उल्लिखित स्थान/चिकित्सालय में स्थानान्तरित किया जाता है:-


क्रमांक	चिकित्साधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती	अधिनियम में प्राविधानित धारा
1	2	3	4	5
1	डा0 मोहम्मद नावेद (यूनानी)	रा0यू0चि0 लक्सर वार्ड-1 यू0 हरिद्वार	रा0 यूनानी चि0 सुल्तानपुर पटटी/उधमसिंह नगर	धारा-17 (1) (क) के अन्तर्गत स्थानान्तरित
2	डा0 विशाल प्रभाकर	रा0आ0चि0 मगलौर हरिद्वार	रा0एलौ0चि0, आयुष विंग /भरपूर पौडी	धारा-17 (1) (क) के अन्तर्गत स्थानान्तरित
3	डा0 विनोद कुमार	रा0आ0चि0 प्रतापपुर उधमसिंह नगर	रा0आ0चि0 बमस्यू /अल्मोडा	धारा-17 (1) (क) के अन्तर्गत स्थानान्तरित
4	डा0 मनोज सिंह रघुवंशी	रा0आ0चि0 धनौरी उधमसिंह नगर	अति0प्रा0स्वा0केन्द्र पनवानौला/अल्मोडा	धारा-17 (1) (क) के अन्तर्गत स्थानान्तरित
5	डा0 वंदना ध्यानी	रा0आ0चि0 हर्बटपुर देहरादून	अति0प्रा0स्वा0केन्द्र मानथात/देहरादून	धारा-17 (1) (क) के अन्तर्गत स्थानान्तरित
6	डा0 अजय कुमार श्रीवास्तव	रा0आ0चि0 मझोला उधमसिंह नगर	अति0प्रा0स्वा0केन्द्र पुलाहिन्दोला/चम्पावत	धारा-17 (1) (क) के अन्तर्गत स्थानान्तरित
7	डा0 सुषमा	रा0आ0चि0 डांडा जलालपुर हरिद्वार	रा0आ0चि0जाजल/टिहरी	धारा-17 (1) (क) के अन्तर्गत स्थानान्तरित
8	डा0 मंजू	रा0आ0चि0 जसपुर उधमसिंह नगर	अति0प्रा0स्वा0केन्द्र मानीला/अल्मोडा	धारा-17 (1) (क) के अन्तर्गत स्थानान्तरित
9	डा0 पूनम सती	रा0आ0चि0 माजरीमाफी देहरादून	रा0आ0चि0 नैनीसैन /चमोली	धारा-17 (1) (क) के अन्तर्गत स्थानान्तरित
10	डा0 चेतन स्नेही	रा0आ0चि0 बहादुरपुरखादर हरिद्वार	रा0आ0चि0 बेरनी /टिहरी	धारा-17 (1) (क) के अन्तर्गत स्थानान्तरित
11	डा0 जयदीप बिष्ट	रा0आ0चि0 कोटद्वार पौडी	रा0एलौ0चि0आयुषविंग काण्डाखाल/पौडी	धारा-17 (1) (क) के अन्तर्गत स्थानान्तरित
12	डा0 आशीष सुन्दरियाल	रा0एलौ0चि0, आयुष विंग काण्डाखाल पौडी	रा0आ0चि0झाझरा/देहरादून	धारा-17(ख) (एक) के अन्तर्गत अनुरोध के आधार पर।
13	डा0 सुगम तिवारी	रा0आ0चि0 नागणी टिहरी	रा0आ0चि0निरंजनपुर/देहरादून	धारा-17(ख) (एक) के अन्तर्गत अनुरोध के आधार पर।

He
8/6/24

14	डा0 भावना उप्रेती जोशी	रा0आ0चि0 बमस्यू अल्मोडा	रा0आ0चि0प्रतापपुर / उधमसिंह नगर	धारा-17(ख) (एक) के अन्तर्गत अनुरोध के आधार पर।
15	डा0 ऋचा चौहान	रा0आ0चि0 स्यूनराकोट अल्मोडा	रा0आ0चि0मंगलौर / हरिद्वार	धारा-17(ख) (एक) के अन्तर्गत अनुरोध के आधार पर।
16	डा0 रंजना आर्या	रा0आ0चि0 फुटसिल पिथौरागढ़	जिला चिकित्सालय आयुषविंग / नैनीताल	धारा-17(ख) (तीन) के अन्तर्गत अनुरोध के आधार पर। एम0डी0 उपाधिधारक
17	डा0 संदीप कुमार	रा0आ0चि0 सौनी अल्मोडा	रा0आ0चि0जसपुर / उधमसिंह नगर	धारा-17(ख) (चार) के अन्तर्गत अनुरोध के आधार पर।
18	डा0 विरेन्द्र प्रसाद पुरोहित	रा0एलौ0चि0, आयुष विंग मणिगुहा रुद्रप्रयाग	रा0आ0चि0नागणी / टिहरी	धारा-17(ख) (चार) के अन्तर्गत अनुरोध के आधार पर।
19	डा0 त्रिलोक सिंह बिष्ट	रा0आ0चि0 बर्धो नैनीताल	अति0प्रा0स्वा0केन्द्र चोरगलिया / नैनीताल (30.06.2024 को पद रिक्त होने के पश्चात प्रभावी)	धारा-17(ख) (चार) के अन्तर्गत अनुरोध के आधार पर।
20	डा0 संगीता कुमारी	रा0आ0चि0 दफौट बागेश्वर	रा0आ0चि0धनौरी / उधमसिंह नगर	धारा-17(ख) (पांच) के अन्तर्गत अनुरोध के आधार पर।
21	डा0 प्रीति मिश्रा	रा0एलौ0चि0, आयुष विंग सिघांली पिथौरागढ़	रा0आ0चि0हरबर्टपुर / देहरादून	धारा-17(ख) (पांच) के अन्तर्गत अनुरोध के आधार पर।
22	डा0 उमेश जोशी	रा0आ0चि0 विरगुल चम्पावत	रा0आ0चि0बडडा / पिथौरागढ़	धारा-17(ख) (छः) के अन्तर्गत अनुरोध के आधार पर।
23	डा0 पंकज कुमार	रा0आ0चि0 बानठोक अल्मोडा	जिला चिकित्सालय आयुषविंग / अल्मोडा	जनरि
24	डा0 सुखदेव सिंह	रा0एलौ0चि0 जिला चिकित्सालय आयुष विंग पुरुष अल्मोडा	रा0 एलौ0 चि0 आयुषविंग गूंजी / पिथौरागढ़	धारा-17(ख) (सात) के अन्तर्गत अनुरोध के आधार पर।
25	डा0 शोभा पाण्डे	रा0आ0चि0 मनान अल्मोडा	रा0आ0चि0 बर्धो / नैनीताल	धारा-17(ख) (पांच) के अन्तर्गत अनुरोध के आधार पर।
26	डा0 विरेन्द्र नाथ कुमार	रा0एलौ0चि0, आयुष विंग कफनौल उत्तरकाशी	रा0आ0चि0माजरा / देहरादून	धारा-17 (1) (ग) के अन्तर्गत स्थानान्तरित
27	डा0 विक्रम सिंह रावत	रा0आ0चि0 बरसूडी रुद्रप्रयाग	रा0आ0चि0डांडा जलालपुर / हरिद्वार	धारा-17 (1) (ग) के अन्तर्गत स्थानान्तरित
28	डा0 अभिषेक मिश्रा	रा0आ0चि0 चाका चमोली	रा0आ0चि0मझौला / उधमसिंह नगर	धारा-17 (1) (ग) के अन्तर्गत स्थानान्तरित
29	डा0 भाष्करानन्द शर्मा	रा0आ0चि0 बेरनी टिहरी	रा0आ0चि0बहादुरपुरखादर / हरिद्वार	धारा-17 (1) (ग) के अन्तर्गत स्थानान्तरित
30	डा0 मधु उपाध्याय	रा0आ0चि0 जाजल टिहरी	रा0आ0चि0माजरीमाफी / देहरादून	धारा-17 (1) (ग) के अन्तर्गत स्थानान्तरित

8/10/24


1. सम्बन्धित कार्मिक आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना वर्तमान तैनाती स्थान से अवमुक्त होकर/कार्यमुक्त होंगे। स्थानान्तरित कार्मिकों के द्वारा धारा-23(12) के प्राविधानानुसार स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। निर्धारित समायान्तर्गत अवमुक्त/कार्यमुक्त न होने की दशा में सम्बन्धित कार्मिक का वेतन आहरित नहीं किया जायेगा। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण करने की अवधि (JOINING TIME) का उपभोग नवीन तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे। तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अविध का ही उपभोग कर सकेंगे।
2. स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिवस के अन्तर्गत स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा। जिसके द्वारा प्रत्यावेदनों का निस्तारण कर दिया जायेगा।
5. स्वयं के अनुरोध पर स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों को नियमानुसार केवल यात्राकाल देय होगा यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।


(डा0 विजय कुमार जोगदण्ड)
निदेशक

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. कुल सचिव, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, हरवाला, देहरादून।
4. समस्त जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. अधीक्षक, ऋषिकुल फार्मसी, हरिद्वार।
8. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी द्वारा सम्बन्धित जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी।
9. सूचना पट्ट/विभागीय बेवसाईट।
10. गार्ड फाईल।


(डा0 विजय कुमार जोगदण्ड)
निदेशक